दिनांकः–02 सितंबर, 2019 को आहूत मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में माननीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) द्वारा O.A. No.-606/2018 में पारित आदेश के आलोक के अनुपालन में चयनित मॉडल शहरों की VC के माध्यम से जिलाधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ तृतीय बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी के अनुसार :–

मुख्य सचिव, बिहार सरकार
प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार
प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार
सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति, पटना
विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार
टीम लीडर, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)
Solid Waste Management Expert, SBM-PMU

I. उद्देश्य :– माननीय NGT, नई दिल्ली द्वारा O.A. No.-606/2018 में दिनांक–15.03.2019 को पारित आदेश के आलोक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016, Construction and Demolition Waste नियमावली, 2016 इत्यादि के सभी प्रावधानों को प्रथम चरण में तीन मुख्य नगरों (Cities) तथा तीन मुख्य शहरों (Towns) में पूर्ण रूप से लागू करना है।

विभागीय अधिसूचना सं.–1952, दिनांक–05.04.2019 के द्वारा राज्य के तीन मुख्य नगरों (Cities) के रूप में **(i) मुजफ्फरपुर (ii) मुंगेर (iii) बिहारशरीफ** को तथा तीन मुख्य शहरों (Towns) के रूप में **(i) सुपौल (ii) बोधगया (iii) राजगीर** को अधिसूचित किया गया है।

II. अनुपालन :– इन सभी छः चयनित मॉडल शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव, बिहार द्वारा निर्धारित तय सीमा जिसका पत्रांक सं.–1018, दिनांक–11.04.2019 द्वारा निदेशित है, इस आलोक में निम्नलिखित कार्य संपन्न कराया जाना है :–

(i) शत् प्रतिशत वार्डों के घरों से कचरे का पृथक्किरण एवं पृथक्कृत कचरे को Door to Door संग्रहण एवं परिवहन।
(ii) ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए गीले कचड़े का Compost Pit के माध्यम से एवं सूखे कचड़े का प्रसंस्करण के लिए Material Recovery Facility (MRF) अधिष्ठापन के लिए भूमि का अधिग्रहण या क्रय कर Compost Pit एवं MRF का निर्माण सुनिश्चित करवाना।
(iii) सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रसंस्करण हेतु भूमि को Lease या किराया पर EOI के माध्यम से उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
(iv) Sanitary Landfill के लिए सरकारी भूमि का चयन। सरकारी भूमि अनुपलब्धता की स्थिति में रैयती भूमि का क्रय/अधिग्रहण।
(v) Legacy Waste (विरासत अपशिष्ट) को चिन्हित कर निपटान हेतु एजेंसी का चयन कर प्रसंस्करण सुनिश्चित कराना।
(vi) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (C & D Waste) का संग्रहण, परिवहन एवं प्रसंस्करण हेतु एजेंसी के माध्यम से कार्य प्रारंभ करना।

बैठक की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम प्रधान सचिव के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 (SWM Rules, 2016) के क्रियान्वयन के लिए माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली के द्वारा दिनांक–15.03.2019 के पारित आदेश की चर्चा की गई। तदुपरांत प्रधान सचिव द्वारा Model City एवं Town में अभी तक किये गये कार्यों पर PPT के माध्यम से प्रदर्शन किया गया।

1. 06 मॉडल शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्लास्टिक प्रबंधन के तहत किये गये कार्यों से मुख्य सचिव को अवगत कराया गया। सभी बिन्दुओं पर अनुपालन की प्रगति समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा की गई। शेष अन्य निकायों में भी 20 जगहों पर कचड़े का स्त्रोत, पृथक्किरण, डोर–टू–डोर एवं प्रसंस्करण का कार्य प्रारंभ एवं 28 अन्य जगहों पर कम्पोस्टिंग पीट का निर्माण सम्पन्न हो गया है से मुख्य सचिव को अवगत कराया गया। इसी सप्ताह इन 28 जगहों पर अन्य कार्यों की भी शुरुआत कराई जायेगी।

(अनुपालन :–सभी मॉडल नगर निकाय एवं अन्य निकाय)

2. मुख्य सचिव द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों एवं संबंधित नगर निकायों को निदेश दिया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में लगे हुये सफाई कर्मी एवं स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को Personal Protection Equipment (PPE) जैसे सफाई कर्मियों के लिए जूता, हेलमेट, मास्क (Nose Mask), दस्ताने एवं वर्दी आदि सभी सफाई कर्मियों को उपलब्ध कराये जाये।

(अनुपालन :–सभी मॉडल नगर निकाय एवं अन्य निकाय)

3. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये मुजफ्फरपुर में रौतनिया स्थल पर कचड़े के प्रसंस्करण के दौरान स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है जिससे कार्य अवरुद्ध है। मुख्य सचिव के द्वारा जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि माननीय NGT के मामले में स्थानीय प्रशासन द्वारा सख्ती से कार्रवाई करें एवं माननीय NGT द्वारा पारित आदेश के आलोक में कार्य को सम्पन्न करायें।

(अनुपालन :–सभी मॉडल नगर निकाय)

4. बिहार शरीफ नगर निगम की समीक्षा के दौरान हाउसहोल्ड डस्टबीन का क्रय नहीं किये जाने के कारण कचड़े का पृथक्किरण स्रोत पर नहीं किया जा रहा है। मुख्य सचिव के द्वारा नगर आयुक्त, बिहारशरीफ को 15 दिनों के अंदर Gem Portal से नियमानुकुल हाउसहोल्ड डस्टबीन क्रय करने का निदेश दिया गया है। तत्काल कम–से–कम पांच वार्डों में कचड़े का पृथक्किरण लोगों को प्रोत्साहित कर करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–सभी मॉडल नगर निकाय)

5. प्रधान सचिव के द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को सुखे एवं गीले कचड़े का संग्रहण एवं प्रसंस्करण के लिये स्थानीय Bulk Garbage Generator के रुप में बड़े होटल, विवाह समारोह स्थल, आवासीय परिसर, RWA, धर्मस्थल को पहचान कर उन्हें अपने ही परिसर में कचड़े का प्रसंस्करण की शुरुआत कराने का निदेश दिया गया है। वैसे Bulk Garbage Generator, जिनके पास जगह नहीं है, वे निकाय को मासिक किराये पर कचड़ा का उठाव करने के लिये सुविधा का लाभ ले सकते हैं। सूखे कचड़े के लिये MRF Center पर स्वयं सहायता समूह/रैग पीकर से अलग करवाना है एवं कबाड़ी वाले के माध्यम से सुखे कचड़े का प्रसंस्करण कर निकाय द्वारा बेचा जा सकता है।

(अनुपालन :–सभी मॉडल नगर निकाय)

6. प्रधान सचिव द्वारा C & D Waste Management के लिये सभी नगर निगमों द्वारा EOI का प्रकाशन कराये जाने की सूचना दी गई है, परंतु कुछ नगर निगमों में एंजेसी द्वारा रुचि नहीं दिखाया गया है। पटना नगर निगम के द्वारा C & D Waste Management के लिये एजेंसी का चयन कर उन्हें कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है। बिहारशरीफ नगर निगम में भी इस कार्य के लिये एजेंसियों ने रुचि दिखाया है। नगर आयुक्त, बिहारशरीफ के द्वारा RFP तैयार कर लिया गया है जो Cluster Approach में है। इसे प्रकाशित कराने के लिये नगर आयुक्त को निदेश दिया गया है।

(अनुपालन :–सभी मॉडल नगर निकाय एवं अन्य नगर निगम)

7. चूँकि एजेंसी द्वारा 50 टन प्रति दिन C & D Waste Plant लगाने के लिये मांगा जा रहा है। वर्तमान में किसी भी नगर निगम में यह अर्हता पूरी नहीं की जा रही है। अतः प्रधान सचिव के द्वारा शेष नगर निगमों को बिहारशरीफ के मॉडल पर RFP प्रकाशित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–सभी मॉडल नगर निकाय एवं अन्य नगर निगम)

8. प्रधान सचिव द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को बताया गया कि Legacy Waste के लिये 3 नगर निगमों यथा– बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर एवं गया नगर निगमों के लिये Model RFP तैयार कर विभाग द्वारा भेजा गया है। शेष नगर निगमों में जहां भी Legacy Waste का डिस्पोजल किया जाना है, इस Model RFP के अनुसार Legacy Waste का आकलन कर RFP प्रकाशित कराने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन :–सभी मॉडल नगर निकाय एवं अन्य नगर निगम)

9. मुख्य सचिव द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को प्लास्टिक प्रतिबंध पर सघन छापेमारी अभियान चला कर 2 अक्टूबर, 2019 तक प्लास्टिक फ्री नगर निकाय बनाने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन :–सभी मॉडल नगर निकाय एवं अन्य निकाय)

10. शहरों को स्वच्छता रैंकिंग के लिये हर महीने सभी नगर निकायों का रैंकिंग कर Web Portal पर उपलब्ध कराने के लिए प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को निदेश दिया गया है।

(अनुपालन :–सभी मॉडल नगर निकाय एवं अन्य निकाय)

11. बॉयोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के तहत इन 06 शहरों में चल रहे कार्यों की प्रगति प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि इन सभी शहरों से बॉयोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य योजना एवं क्रियान्वयन की पद्धति मांगा जाय ताकि माननीय NGT के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

(अनुपालन :– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग)

12. आगामी 20 सितंबर, 2019 तक सभी मॉडल शहरों में माननीय NGT द्वारा पारित आदेश के आलोक में चल रहे कार्यों का निगरानी कर अद्यतन प्रतिवेदन तैयार कर लिया जाय ताकि 30 सितंबर, 2019 को NGT के समक्ष प्रस्तुत होने के लिये आवश्यक प्रतिवेदन बिहार राज्य प्रदूषण समिति से समन्वय स्थापित कर तैयार कर ली जाय।

(अनुपालन :–नगर विकास एवं आवास विभाग एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति)

13. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंध करने के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव से समीक्षा के दौरान बताया गया कि विभाग द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने के लिये आम लोगों से सुझाव एवं सहमति दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से मांगा गया था जिसमें करीब 260 लोगों से सुझाव प्राप्त हुआ है एवं अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

(अनुपालन :–सभी मॉडल नगर निकाय एवं अन्य निकायों में भी)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

6/9/2019

मुख्य सचिव
बिहार सरकार।

ज्ञापांक:–03/SBM-01-11/2019 2584 पटना, दिनांक :– 19/09/19

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित/प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, भूतत्व एवं खान विभाग, बिहार/सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/श्री संजय दयाल, विशेष सचिव/नोडल पदाधिकारी, SBM/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/Team Leader State PMU, SBM बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।